



2026:AHC:124807

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या - 19134 वर्ष 2026

तुषार उर्फ बुद्धा

.....आवेदक(गण)

बनाम

उ. प्र. राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : दीपक राणा

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 4

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल,

1. आवेदक के अधिवक्ता श्री सुनील कुमार पांडे और राज्य की ओर से ए.जी.ए. की बातें सुनीं और अभिलेख देखा।
2. यह जमानत प्रार्थना-पत्र आपराधिक वाद संख्या 579/2025 बीएनएस, 2023 की धारा 103(1), 109(1), 3(5) के तहत; थाना- लोनी बॉर्डर, जिला- गाज़ियाबाद, में विचारण चलने के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा करने की गुज़ारिश के साथ दायर की गई है।
3. आवेदक के अधिवक्ता ने कहा कि शुरू में प्राथमिकी में आवेदक समेत पांच लोगों पर मारपीट के आरोप लगाए गए थे; लेकिन घायल गवाह दीपांशु के बयान में नौ लोगों पर आरोप लगाए गए हैं। आरोप है कि आवेदक ने दूसरों के साथ मिलकर मृतक की पिटाई की थी, लेकिन किसी भी आरोपी की कोई खास भूमिका नहीं बताई गई है। उन्होंने आगे कहा कि घायल गवाह के बयान में मृतक को लगी चोटों के लिए सभी आरोपियों को समान रूप से जिम्मेदार ठहराया गया है और आवेदक पर किसी खास चोट या हरकत का आरोप नहीं लगाया गया है। यह भी कहा गया कि सह-आरोपी देव उर्फ कालू को इस न्यायालय की एक पीठ ने आपराधिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या 16571/2026 में 15.05.2026 के आदेश से पहले ही जमानत दे दी

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



है; इसलिए, समानता के आधार पर आवेदक भी ज़मानत पाने का हकदार है। साथ ही, आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और इस मामले में आरोपपत्र पहले ही दाखिल की जा चुकी है; इसलिए, आवेदक से हिरासत में पूछताछ की ज़रूरत नहीं है। आवेदक 15.10.2025 से जेल में बंद है। अगर उसे ज़मानत मिल जाती है, तो वह ज़मानत की आज़ादी का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा और विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

4. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने ज़मानत की प्रार्थना-पत्र का ज़ोरदार विरोध किया, लेकिन ऊपर बताए गए तथ्यों को चुनौती नहीं दे सके।

5. इस मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों, दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों, अपराध की प्रकृति, सबूतों और आरोपी की भूमिका पर विचार करते हुए; साथ ही जेलों में भीड़ और विचारण न्यायालय में लंबित आपराधिक मामलों की भारी संख्या को ध्यान में रखते हुए; और **कपिल वधावन बनाम केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 3038)** मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय और **माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2024 एससीसी ऑनलाइन इला 6765** मामले में इस न्यायालय की ज़मानत देने से जुड़े दिशा-निर्देश को देखते हुए और मामले के गुण-दोष पर कोई राय ज़ाहिर किए बिना, मेरी राय है कि आवेदक ज़मानत पाने का हकदार है। इसलिए, यह प्रार्थना-पत्र स्वीकार की जाती है।

6. ऊपर बताए गए अपराध में शामिल आवेदक- **तुषार उर्फ बुद्धा** को ज़मानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते वह संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार उतनी ही राशि का एक स्वीय बंधपत्र और दो ज़मानतदार पेश करे, और साथ ही निम्नलिखित शर्तें भी पूरी करे:-

i. आवेदक मामले की जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से कोई लालच, धमकी या वादा नहीं देगा, जिससे वह व्यक्ति न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को वे तथ्य बताने से रुके या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करे।

ii. आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए, ईमानदारी से मुकदमे/जांच में सहयोग करेगा।

iii. ज़मानत पर रिहा होने के बाद आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि या अपराध में शामिल नहीं होगा।

iv. आवेदक अपने द्वारा भरे गए बंधपत्र की शर्तों के अनुसार पेश होगा।

7. ऊपर बताई गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, यह ज़मानत निरस्त करने का आधार होगा।



8. बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पहले, संबंधित न्यायालय को आवेदक और जमानत देने वालों की पहचान, हैसियत और निवास के प्रमाण की पुष्टि करनी चाहिए।
9. संबंधित न्यायालय को आवेदक और जमानत देने वालों के मोबाइल संख्या और आधार कार्ड का सत्यापन करना चाहिए।
10. इसके अलावा यह निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय, आवेदक की जल्द रिहाई सुनिश्चित करने के लिए जमानत आदेश प्रबंधन तंत्र (बीओएमएस) के जरिए संबंधित जेल को रिहाई का आदेश भेजे।
11. सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों जैसे जमानत देने की नीतिगत रणनीति, स्वप्रेरणा रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 4 वर्ष 2021 मामले में 31.01.2023 को निर्णीत, 2024 10 SCC 685 में प्रतिवेदित और पिला पाहन उर्फ पीला पाहन एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य और अन्य रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 169/2025, 29.05.2026 को निर्णीत का पालन करते हुए, कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह इस आदेश की एक प्रतिलिपि 24 घंटे के अंदर आवेदक को गाज़ियाबाद, डासना जेल अधीक्षक के जरिए ईमेल या ई-प्रिज़न पोर्टल पर और विचारण न्यायालय को (ई-मोड से) भेजे।

(न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल)

जून 2, 2026

नीतू